Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 97-2026/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 23 जून, 2026
(2 आषाढ, 1948 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 26/के०अ०34/2008/धा० 22/2026, दिनांक 23 जून, 2026– विधिविरूद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के अधीन दर्ज लंबित मामलों के विचारण हेतु जिला नूंह में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एक अनन्य न्यायालय की स्थापना करने बारे।	159—160
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 27/प०अ०18/1961/धा० 15/2026, दिनांक 23 जून, 2026– हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) चतुर्थ संशोधन नियम, 2026।	161—162
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 जून, 2026

संख्या का०आ० 26/के०अ०34/2008/धा० 22/2026.– हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 104/के०अ०34/2008/धा० 22/2013, दिनांक 13 दिसंबर, 2013 की निरन्तरता में, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 22 की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा विधिविरूद्ध क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के अधीन दर्ज लंबित मामलों के विचारण हेतु जिला नूंह में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एक अनन्य न्यायालय की स्थापना करते हैं।

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 23rd June, 2026

No. S.O. 26/C.A.34/2008/S.22/2026.— In continuation of the Haryana Government, Administration of Justice Department, notification No. S.O. 104/C.A.34/2008/S.22/2013 dated the 13th December, 2013 and in exercise of the powers conferred under sub section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (Central Act 34 of 2008), the Governor of Haryana hereby establishes one exclusive Court of Additional District and Sessions Judge in district Nuh for trial of pending cases registered under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (Central Act 37 of 1967).

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

12703—L.R.—H.G.P., Pkl.